हुक्म

मि0नं0 639/दावा/2017 रूपकंवर बनाम विशाल

29/03/019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित है। वादनी ने ग्राम सेवन्या की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतोनी सं0 46 की कुल 3 किता रकबा 15.18 बीघा में से अपने 1/12 हिस्से का विभाजन चाहने हेतू यह वाद पेश किया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 8 की ओर से प्रति0नं0 3 गुडडीबाई ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश इस प्रकार पेश किया है कि " वादिया एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम सेवन्या तहसील खानपुर के माल की खतौनी संख्या नई 46 पुरानी 49 की खसरा नम्बर 35 का रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 99 का रकबा 1.02 बीघा, खसरा नम्बर 213 का रकबा 14.09 बीघा कुल किता 3 का कुल रकबा 15.18 बीघा आराजी स्थित है। आराजी में वादिया का हिस्सा 1/12 दर्ज है। जिसमें सहवन से प्रतिवादी नं0 8 रूपकंवर पुत्री चैनसिंह जिसकी आयु 17 वर्ष 11 माह है उसका नाम रेकार्ड में नाबालिग होने की वजह से व रूपकंवर पुत्री चैनसिंह जो मृतक चैनसिंह की पूर्व पत्नि राजेंद्रकंवर की पुत्री है। दोनों एक ही नाम होने के कारण रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 8 का नाम दर्ज होने से रह गया था जिसे वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के साथ प्रतिवादी नं0 8 का नाम रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज कर दिया जावे। उक्त नाम दर्ज करवाने में हम उभय पक्ष पूर्ण रूप से सहमत हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि रेकार्ड जमाबंदी की खतौनी संख्या नई 46 पुरानी 49 की खसरा नम्बर 35 का रकबा 0.07 बीघा खसरा नम्बर 99 का रकबा 1.02 बीघा, खसरा नम्बर 213 का रकबा 14.09 बीघा कुल किता 3 का कुल रकबा 15.18 बीघा आराजी में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के हिस्से में रूपकंवर पुत्री चैनसिंह पत्नि चचंलसिंह का नाम दर्ज कर रेकार्ड सह खतेदार में अगल दरामद किया जावे " पक्षकारान द्वारा प्रस्तत राजीनामें को राजीखुशी से आलेखित कराना एवं अंकित सभी तथ्य सही एवं सत्य होना स्वीकार करने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम सेवन्या की वादग्रस्त आराजी 15.18 बीघा में बुधसिंह, लालसिंह पुत्र छीतरसिंह का 2/3 हिस्सा एवं विशाल, ऋषिराज पिता चेनसिंह, रूपकंवर पुत्री चेनसिंह, गुड्डीबाई पत्नि चेनसिंह का हिस्सा 1/3 हि0व0 कौम राजपूत सा0दे0 का नाम दर्ज है। अर्थात वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है। पक्षकारान ने अपने इस 1/3 हिस्से में प्रति0नं0 8 का नाम सह खातेदार के रूप में जोड़ने एवं वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतू लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है। ऐसे में इस वाद का निर्णय प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार किया जाना उचित है।

अतः वाद, वादी राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम सेवन्या की जमाबंदी सं0 2073–76 की खतोनी सं0 46 की कुल 3 किता रकबा 15.18 बीघा आराजी में वादनी एवं प्रति0नं0 1, 2, 3 के साथ 1/3 हिस्से में प्रति0नं0 8 को सह खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही खाते में वादनी का नाम दुरूस्त कर रूपकंवर पुत्री चैनसिंह पत्नि चचंलसिंह जाति राजपूत निवासी सेवनिया हाल बोकड़ा पो0 खुरी तह0 अटरू जिला बारां दर्ज करने की आज्ञा पारित की जाती है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 29/03/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner